

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक : प 9(MRTA) परि/आर.टी.ए./एस.टी.ए./मु./2016 दिनांक 23.11.2016  
३५५८५

कार्यालय आदेश संख्या 41/2016

राजस्थान लोक परिवहन सेवा के अन्तर्गत अनुज्ञाधारी बसों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टैण्डस् से संचालित किये जाने के संबंध में इस विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 37/2015 दिनांक 24.11.2015 को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहृत (Withdraw) किया जाता है।



(शैलेन्द्र अग्रवाल)

परिवहन आयुक्त एवं  
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : प 9(MRTA) परि/आर.टी.ए./एस.टी.ए./मु./2016 दिनांक 23.11.2016  
३५५८६ -

प्रतिलिपि:

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
5. समस्त प्रादेशिक/अति.प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट अपडेट करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।



अपर परिवहन आयुक्त